UPSI180026772024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद सीतापुर।

प्रकीर्ण दीवानी वाद सं०-65/2024

असलम आदि बनाम अनिल कुमार आदि।

दिनांकः-28.08.2024

प्रार्थी/वादीगण असलम आदि की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-91(1)सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि भूमि नंबर 276 रकबा 0.376 हे० स्थित ग्राम गौरिया परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर राजस्व अभिलेखों में खलिहान के रूप में दर्ज है किन्तु उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक हित में सरकारी विद्यालय के रूप में किया जाता है, जिस पर विद्यालय का भवन बना है। उक्त भूमि की सीमा निर्धारण हेतु चहार दीवारी भी बनी है जिसका उक्त स्थल सार्वजनिक हित लोक महत्व का है जिसको प्रतिवादीगण क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/वादीगण को सार्वजनिक में जा०दी० की धारा-91(1) के अन्तर्गत वाद दायर करने की अनुमति दिये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 91 सी०पी०सी० लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य-

(1). लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पडता है या प्रभाव पड़ना संभव है, घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो वाद-

(क) महाधिवक्ता द्वारा, या

(ख) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाजत से, संस्थित किया जा सकेगा।

(2). इस धारा की कोई भी बात वाद के किसी ऐसे अधिकार को परिशीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी, जिसका अस्तित्व इसके उपबन्धों से स्वतन्त्र है।

वादीगण का प्रार्थना पत्र में कथन है कि वे सार्वजनिक हित में भूमि नंबर 276 रकबा 0.376 हे०, स्थित ग्राम गौरिया परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर (वादग्रस्त विद्यालय) हेतु न्यायालय में जनहित वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रकरण सार्वजनिक सम्पत्ति (विद्यालय) से सम्बन्धित होने के कारण लोक

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2024.08.28 17:26:37 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M. Mahmodabad
Sitapur.

न्यूसेंस के सम्बन्ध में वाद की पोषणीयता पर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

आदेश

प्रकरण प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली लोक न्यूसेंस के सम्बन्ध में वाद की पोषणीयता पर सुनवाई हेतु दिनांक 02.09.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3555

vijay/-